UPJB010035682026

Presented on : 27-05-2026
Registered on : 27-05-2026
Decided on : 25-06-2026
Duration : 0 years, 0 months, 29 days

IN THE COURT OF
Additional District and Sessions Judge / Special Judge (POCSO Act) - 2
AT ,Amroha
(Presided Over by SRI ARVIND KUMAR SHUKLA)
Bail Application/929/2026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश **(**पोक्सो अधि०**)** कक्ष**-2,** अमरोहा।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 929/2026 (filling no. 3370/2026)

सी.एन.आर.न.- यू.पी.जे.बी.-010035682026

कलीम पुत्र रहीश, उम्र करीब 22 वर्ष,

निवासी ग्राम हुसैनपुर, थाना डिडौली, जिला अमरोहा।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक।

अपराध सं०- 13/2026

धाराः - 109 बी.एन.एस. व 3/25 आयुध अधिनियम,

थानाः - डिडौली, जिला - अमरोहा।

दिनांक – **25.06.2026:-**

1- प्रार्थी/अभियुक्त कलीम की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 929/2026, अपराध सं०- 13/2026, धारा 109 बी.एन.एस. व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना डिडौली, जिला अमरोहा के मामले में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध हैं। विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद अमरोहा का जमानत खारिजा आदेश दिनांकित 26.05.2026 संलग्न है।

2- संक्षेप में अभियोजन द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 13.01.2026 को वादी प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन सिंह को मुखबिर द्वारा थाने पर सूचना दी गयी कि आपके मुकदमे का इनामी वांछित अपराधी कलीम नाजायज असलाह के साथ ग्राम नीलीखेड़ी के पुल के पास बंद पड़ी कालोनी के पास किसी व्यक्ति के इन्तजार मे खडा है। यदि आप जल्दी करे तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मय एक जरब पिस्टल नं0 16718621 मय 10 कारतूस मय व 0 उ 0 नि0 जसवीर सिंह मय एक जरब पिस्टल व उ 0 नि0 मौ० तारिक मय एक जरब पिस्टल मय 10-10 अदद कारतूस के व का0 527 मोहित कुमार मय एक जरब एके 47 नं0 AE515919 मय 20 कारतूस व कॉ0 168 योगेश कुमार मय एक जरब पम्प एक्शन गन मय 05 कारतूस व कॉ0 189 दीपक कुमार मय एक जरब इसांस मय 20 कारतूस मय 03 अदद बुलैट प्रूफ जैकेट मय गाड़ी सरकारी वाहन नं0 UP32EG2671 मय चालक सचिन पंवार मय ड्रैगन टार्च के मु0 अ 0 सं0 11/2026 धारा 191(2), 103,126 (2), 61 (1) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण की तलाश में थाना हाजा से जीडी नं0 89 समय 21.38 बजे रवाना होकर मय मुखबिर के ग्राम नीलीखेडी थाना डिडौली जनपद अमरोहा के अण्डर पास पर पहुँच कर मुखबिर के बताये हुए स्थान नीलीखेड़ी पुल से दिल्ली की ओर जाने वाले सर्विस रोड पर पुल समाप्ति से पहले मुखबिर ने धीरे से गाडी रोकने का इशारा किया तथा हम लोगों ने पुल के बराबर सर्विस रोड पर अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया तथा रुक कर प्रभारी निरीक्षक के द्वारा उ 0 नि0 मनोज

Digitally signed by ARVIND KUMAR SHUKLA
Date: 2026.06.25 16:21:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कुमार व का0 1056 दिलशाद व का0 610 हरवीर को जरिये फोन संपर्क कर मकसद बताकर तलब किया गया, जो कुछ ही देर मे नीलीखेड़ी पुल के पास सर्विस रोड पर मौजूद आये। वादी द्वारा हमराही पुलिस कर्म 0 गण को मकसद बताया गया तथा हम पुलिस वालों ने गवाही हेतु जनता के गवाहन फराहम करने का प्रयास किया तो रात्रि का नावक्त होने के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही हेतु नही मिल सका। तब हम पुलिस वालों ने मुखबिर व एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास अपराध से सम्बन्धित कोई वस्तु तो नही है, इत्मिनान होने पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपनी गाडी से एक बीपी जैकेट को स्वंय धारण किया, एक बीपी जैकेट व 0 उ 0 नि0 जसवीर सिंह को पहनने के लिये दी गयी, एक बीपी जैकेट उ 0 नि0 मो० तारिक को पहनने को दी गयी और अपने सरकारी अस्लाह व टार्च लेकर मुखबिर के बताये रास्ते पर दबे पाव चल दिये कि लगभग 50 मीटर आगे सड़क की बायी साईड में प्लाटिंग की गयी कालोनी के गेट से पहले मुखबिर द्वारा दूर से ही इशारा कर धीरे से बताया कि साहब वह जो कालोनी के गेट के अन्दर बाइक पर व्यक्ति बैठा है, वही आपके मुकदमे का वांछित आरोपी कलीम है। मुखबिर ने यह भी बताया कि ये साहब यह शातिर किस्म का अपराधी है। इसके पास नाजायज असलाह होने की पक्की खबर है। आप पर फायर भी कर सकते है। इतना बताकर मुखबिर मौके से चला गया। हम पुलिस वाले दबे पाव छुपते छिपाते हुए बंद पड़ी प्लाटिंग की कालोनी के गेट के पास बाये किनारे पर समय करीब 22:30 बजे पहुँचे तो प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपने हमराही व 0 उ 0 नि0 जसवीर सिंह व उ 0 नि0 मौ० तारिक व का0 527 मोहित कुमार के साथ आगे बढकर मोर्चा लिया और टार्च जलाकर सामने बाईक पर बैठे व्यक्ति की तरफ रोशनी डाली तो वह व्यक्ति मुह पर सफेद चादर लपेटे हुए दिखायी दिया। तभी हम पुलिस वालों ने ऊंची आवाज में ललकारकर खुद को पुलिस टीम बताया तो वह व्यक्ति बाइक को स्टार्ट कर अन्दर कालोनी की तरफ लेकर भागा तो गेट से करीब 40 मीटर अन्दर बायी ओर मुड़ने पर उसकी बाईक लड़ खड़ाकर गिर गयी तभी उस व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से हम पुलिस वालों पर फायर कर दिया। वह गोली उ 0 नि0 मौ० तारिक की पहनी बुलैट प्रूफ जैकेट पर लगी। जिससे उ 0 नि0 मौ० तारिक बाल बाल बच गये। तुरन्त ही प्रभारी निरीक्षक के द्वारा हमराही फोर्स को मोर्चा बन्दी करने और पेड़ व दीवार की आड़ लेने को कहा। तभी व 0 उ 0 नि0 जसवीर सिंह के द्वारा सामने मौजूद व्यक्ति को रूकने को कहते हुए अपनी आत्मरक्षार्थ में अपनी पिस्टल से एक गोली फायर कर दी जो सामने व्यक्ति को लगी, तो यह व्यक्ति चिल्लाकर वही मौके पर गिर गया तथा उसको भागने व दूसरा फायर करने का मौका दिये बगैर इसको प्रभारी निरीक्षक व हमराह कॉ0 189 दीपक के द्वारा घेर घोटकर समय 22:45 बजे पकड़ लिया। जिसके बाये पैर मे घुटने से नीचे गोली लगी है। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम कलीम पुत्र मौ० रहीस नि० ग्राम हुसैनपुर, थाना डिडौली, अमरोहा बताया और कहा कि मैं दिनांक 11.01.2026 को ग्राम हरियाना मे हुई कार वाले व्यक्ति से मारपीट में उसकी मौत हो जाने के बाद यहां वहां छिपता फिर रहा था। आज मैं दिल्ली जाने की फिराक में था। मैं तुम लोगों को देखकर फायर कर भागना चाहता था। लेकिन तुम लोगो ने मुझे पकड़ लिया। अभियुक्त कलीम के दाहिने हाथ से एक तमंचा 315 बोर बरामद हुआ व इसकी जामा तलाशी ली गयी तो इसके लोवर की दाहिनी जेब से दो जिन्दा कारतूस 315 बोर व 7 रुपये बरामद हुए जो उसे वापस दिये गये तथा बायी जेब से एक अदद मोबाइल वीवो रंग सफेद आईएमईआई नं0 868165072927975 बरामद हुआ। बरामद तंमचे की नाल को खोलकर देखा तो नाल में एक खोखा कारतूस फसा हुआ है जिसकी नाल को सूँघने पर ताजे चले बारूद की गन्ध आ रही है। अभियुक्त कलीम के पास से एक मो0 सा0 स्पलेन्डर रंग काला जिसका नम्बर UP23AL0250 तथा चेचिस नंबर MBLHAW12XNHKD2368 अंकित है, बरामद हुई है। पकड़े गये अभियुक्त कलीम से बरामद तमंचा रखने का लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा बरामदा मो0 सा0 के संबंध में पूछा गया तो कोई दस्तावेज उपलब्ध नही करा सका। पकड़े गये अभियुक्त

कलीम उपरोक्त को इसके जुर्म से अवगत कराकर समय 22:45 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया।

3- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा पुलिस प्रपत्रों एवं संलग्न व उपलब्ध प्रपत्रों तथा तलबशुदा संबंधित मूल पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

4- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त वाद में प्रार्थी ने कोई जुर्म नही किया है, प्रार्थी को रंजिश की बिना पर झूठा फसाया गया है। प्रार्थी बेगुनाह है व निर्दोष व्यक्ति है। अभियोजन पक्ष द्वारा बताये गई धाराओं में से वर्णित प्रार्थी ने कोई अपराध नही किया है। प्रथम सूचना रिपोट देरी (बिलम्ब) से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है। वादी के बयान धारा 180 बी०एन०एस०एस० तथा अन्य गवहाओं के बयानों में भिन्नता है तथा जिसका कोई स्पष्टी करण नही दर्शाया गया है। घटना का कोई मौके का साक्षी नहीं है और न ही कोई पब्लिक का साक्षी दर्शाया गया है। जो भी साक्षी दर्शाये गये है। वह सभी पुलिस कर्मी है। जो अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया है वह अपराध प्रार्थी ने हरगिज भी कारित नही किया है। प्रार्थी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से कोई फायर नही किया है और न ही प्रार्थी के पास कोई तमंचा बरामद हुआ है और न ही जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है और न ही एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। जो भी पुलिस द्वारा बरामदगी दर्शायी गयी है, वह फर्जी है। जो भी आरोप प्रार्थी पर लगाये गये है, वह असत्य हैं। प्रार्थी द्वारा थानाध्यक्ष पर व पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से कोई फायरिंग नही की गयी है। पुलिस को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गयी है, न ही प्रार्थी द्वारा पुलिस को कोई चोट पहुचाई गयी है। पुलिस द्वारा प्रार्थी को घर से उठाकर झूठे मुकदमें में फसाया गया है। प्रार्थी एक मुकदमें में वांछित था जिस कारण प्रार्थी को पुलिस द्वारा रजिंशन झूठे मुकदमें में फसाया गया है। पुलिस द्वारा प्रार्थी के बाये पैर में घुटने से नीचे गोली मार कर घटना को दर्शाया गया है तथा जो भी घटना दर्शायी गयी हैं झूठे तथ्यों पर आधारित है। अभियुक्त की जमानत वांछित होने वाले अपराध संख्या 11/2026, धारा 191(2), 103, 126(2), 61(1) बी.एन.एस., थाना डिडौली, जिला अमरोहा के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.06.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी भविष्य मे कभी भी जमानत का दुरुपयोग नही करेगा। प्रार्थी दिनांक 14/01/2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। प्रार्थी का यह न्यायालय में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इससे पूर्व में प्रार्थी ने सत्र न्यायालय एव माननीय उच्च न्यायालय मे प्रार्थी नें कोई जमानत प्रार्थना पत्र नही गुजारा है और ना ही खारिज हुआ है। अतः प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत फरमाकर उचित धनराशि पर रिहा किये जाने के आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

5- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये तर्क किया है कि अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया है। अभियुक्त द्वारा फायर किया गया बुलैट उपनिरीक्षक मौ. तारिक की पहनी बुलैट प्रूफ जैकेट पर लगी। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध तब किया गया है, जब पुलिस पार्टी अभियुक्त को मु.अ.सं. 11/2026 के मामले में उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास कर रही थी। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत पर छोड़े जाने से अभियुक्त फरार हो सकता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

6- जमानत प्रार्थना पत्र, पुलिस प्रपत्रों व संलग्न तथा उपलब्ध प्रपत्रों एवं तलबशुदा संबंधित मूल पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त पर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किये जाने व उक्त फायर उपनिरीक्षक मौ. तारिक की पहनी बुलैट प्रूफ जैकेट पर लगने एवं उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस

315 बोर बरामद होने का अभियोग है। कथित घटना में कोई भी पुलिसकर्मी चोटिल नहीं हुआ है। नो इंजरी केस है। घटना का कोई भी स्वतंत्र एवं जनता का साक्षी नहीं है। आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। कोई साक्ष्य संकलन शेष नहीं है। अभियुक्त की ओर से यह तर्क किया गया है कि जिस मु.अ.सं. 11/2026, धारा 191(2), 103, 126(2), 61(1) बी.एन.एस., थाना डिडौली, जिला अमरोहा के मामले में पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किये जाने पर प्रश्नगत वारदात होना दर्शाया गया है, उस मामले में अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से दिनांक 16.06.2026 को स्वीकृत हो चुकी है। संबंधित थाना डिडौली द्वारा प्रेषित आख्या में उक्त अपराध के अतिरिक्त अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 14.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। ऐसी दशा में मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त की जेल में निरूद्धता की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए बिना मामले के गुण-अवगुण पर कोई मत प्रकट किये आधार जमानत पर्याप्त है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त कलीम द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुव० 75,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1- यह कि प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं और न ही उन्हें प्रभावित करेगा।

2- प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा एवं न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आता रहेगा तथा आरोप व बयान अन्तर्गत धारा 351 बी.एन.एस.एस. हेतु कार्यवाही नियत होने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

3- प्रार्थी/अभियुक्त वाद में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

दिनांक- 25.06.2026

(अरविन्द कुमार शुक्ला**)**
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश (पोक्सो अधि०) कक्ष-2,
जनपद अमरोहा।
(जे.ओ.कोड नं० – UP 1694)